रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 -Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905
No. 136] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Indiacode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 अप्रैल 1983

सा०का०नि० 325(अ)—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, पासपोर्ट नियम बनी 1980 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा —

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम बली, 1983 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली 1980 की अनुसूची 1 में —

(1) क्रम सं० 2 के सामने कालम (3) के अन्तर्गत लिखा शब्द त्रिपुरा' जहां लागू हो निकाल दिया जाए,

(2) क्रम सं० 5 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, यथा —

1	2	3
"5(1)(क)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय मद्रास)	तमिलनाडु का राज्य (तंजावूर, तिरुचिरापल्ली पुडुकोट्टई मदुराई, रामनाथपुरम तिरुनेलवेल्लि और कन्याकुमारी के जिलों को छोड़कर) और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र (माहे जिले को छोड़कर)
(ख)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय मद्रास)।	—वही—
(ग)	जन संपर्क अधिकारी मद्रास क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय मद्रास)।	—वही—
(घ)	अन्वीक्षक मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय मद्रास)।	—वही—

2	3
5 (ii) (क) पासपोर्ट अधिकारी, त्रिचिरापल्ली (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिचिरापल्ली)	तंजावूर, तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, मदुरै, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेलि और कन्याकुमरी जिले।
(ख) जन संपर्क अधिकारी, त्रिचिरापल्ली (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिचिरापल्ली)	वही—
(ग) अधीक्षक, त्रिचिरापल्ली (पासपोर्ट कार्यालय, त्रिचिरापल्ली)	वही—

3. क्रम सं० 15 के सामने, कालम 3 में "असम, नगालैण्ड के राज्य" शब्दों के स्थान पर, "असम, त्रिपुरा, नगालैण्ड के राज्य" शब्द रखे जायें।

[सं० V. IV/553/3/82]
पी० एस० सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:— 1980 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 691(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित प्रमुख नियम।

बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित—

(1) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 50(अ) दिनांक 7 फरवरी, 1981

(2) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 469(अ) दिनांक 24 जून, 1982

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1983

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1980—

(1) against Sl. No. 2, under column (3), in the entries, the word 'Tripura' wherever applicable, shall be omitted;

(2) for entries against Sl. No. 5, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"5(i)	(a) Regional Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	The State of Tamil Nadu (excluding the Districts of Thanjavur, Tiruchirapalli, Pudukottai, Madurai, Ramanathapuram, Tirunelveli and Kanyakumari) and the Union territory of Pondicherry (excluding the district of Mahe).
	(b) Assistant Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	-do-
	(c) Public Relations Officer, Madras (Regional Passport, and Emigration Office, Madras)	-do-
	(d) Superintendent, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	-do-
5(ii)	(a) Passport Officer, Tiruchirapalli (Passport Office, Tiruchirapalli).	The districts of Thanjavur, Tiruchirapalli, Pudukottai, Madurai, Ramanathapuram, Tirunelveli and Kanyakumari in the State of Tamil Nadu.
	(b) Public Relations Officer, Tiruchirapalli (Passport Office, Tiruchirapalli)	-do-
	(c) Superintendent, Tiruchirapalli (Passport Office, Tiruchirapalli).	-do-

3. Against Sl. No. 15, in column 3 for the words "The States of Assam, Nagaland", the words "The States of Assam, Tripura, Nagaland", shall be substituted.

[No. V.IV/553/3/82]
P. S. SAHAI, Jt. Secy.

Note : Principal rules published vide Notification No. GSR 691(E) dated 11th December, 1980, Gazette of India 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i).

Subsequently amended by :—

(i) Notification No. GSR. 50(E), dated 7th Feb. 1981,

(ii) Notification No. GSR. 469(E) dated 24th June, 1982.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983